

पंक्ति

सीमान्त अध्यापन मही ०००

कार्य. विद्युत उपभोक्ता फोरम
गुदियारी रायपुर

नायक - दालेन्द्र कुमार आर स्व लालनाथ
स्वरा पाण्डुरोला D/C अंचल
मिल M.M.C.- (C.D.)

विषय = S/C. सुनेरडाग हेतु

प्रमाण = यह है कि - मार्च-2026 के S/C कार्या
राशि का अनुमान है चुका है
अतः विद्युत अधिकारी गण द्वारा
सुनेरडाग गवाय नहीं मिल रहा है
अतः अप्र S/C हेतु कार्यलय के नियम
नियमानुसार मांग कर उचित कार्यवाही
करने का कष्ट करेंगे।

(न्याय - अंचल)

दिनांक - 4/6/26

अवधीप

दालेन्द्र कुमार

स्वरा पाण्डुरोला

मो 9067014358

कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड मोहला
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
छ.रा.वि.मंडल की उत्तरदायी कंपनी

क्र.कार्य.अभि/मोहला/१३३

प्रति,

दिनांक/०३/०४/२०२६

अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत

निवारण फोरम राजनांदगांव

विषय :- आवेदक श्री ढालेन्द्र कुमार पिता लालसाय ग्राम पाण्डुटोला वितरण केन्द्र अं.चौकी जिला-मानपुर, मोहला, अं.चौकी के विवाद निराकरण प्रतिवेदन बाबत।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रं. 13-01/वि.उ.शि.नि.फो./56 राजनांदगांव दिनांक 22.06.2026

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि ढालेन्द्र कुमार पिता लालसाय ग्राम-पाण्डुटोला वितरण केन्द्र अं.चौकी का विवाद का निराकरण प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नानुसार है -

- (1) उपभोक्ता श्री ढालेन्द्र कुमार पिता लालसाय सा. ग्राम-पाण्डुटोला वितरण केन्द्र अं.चौकी जिला - मोहला मानपुर अं.चौकी का कृषि पंप कनेक्शन हेतु राशि का भुगतान दिनांक 30.03.2026 को किया गया है।
- (2) उपभोक्ता श्री ढालेन्द्र कुमार पिता लालसाय एवं अन्य 6 उपभोक्ता के साथ शामिल हैं कृषि पंप का प्रॉक्लन क्रमांक G447803625.0263 दिनांक 27.03.2026 राशि 8,14,649.00 (आठ लाख चौदह हजार छःसौ उन्नचास रुपये) स्वीकृत हुआ है, जिसमें से प्रत्येक उपभोक्ता को एक-एक लाख रुपये कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत किसानों को छुट प्रदान किया गया कर शेष राशि 16378.00 के साथ सर्विस कनेक्शन राशि 875.00 कुल 17254.00 (सत्रह हजार दो सौ चौवन रुपय मात्र) का मांगपत्र दिया गया था जिसे दिनांक 30.03.2026 को भुगतान किया गया है।
- (3) शासन द्वारा प्रतिवर्ष पंप कनेक्शनों का कार्य किये जाने हेतु लक्ष्य प्रदान किया जाता है जिसमें से भुगतान की तिथि के अनुसार वरीयता क्रम से कार्य किया जाता है। मोहला संभाग को वर्ष 2026-27 में कुल औपचारिकतापूर्ण आवेदन 1343 है, शासन के द्वारा इस वर्ष 294 नग कृषि पंप उर्जीकरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, अतः केवल वरीयता क्रमांक 1 से 294 तक का उर्जीकरण का कार्य किया जा रहा है, शिकायतकर्ता उपभोक्ताओं का वरीयता क्रं. 1213 से 1219 तक है, जो वर्तमान लक्ष्य में शामिल नहीं है। शासन से अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त होने पर तथा वरीयता सूची क्रमांक में शामिल होने शिकायतकर्ता उपभोक्ताओं का कृषि पंप उर्जीकरण का कार्य किया जाएगा।

संलग्न :- स्वीकृति प्रपत्र, कायदेश की प्रति, भुगतान की रसीद।

कार्यपालन अभियंता (सं./सं.) संभाग
छ0स्ते0पॉ0डिस्ट्री0कं0लिमि0मोहला

प्रतिलिपि:- श्री ढालेन्द्र कुमार पिता लालसाय ग्राम पाण्डुटोला जिला-मानपुर-मोहला-अं.चौकी के आवेदन का निराकरण प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रेषित।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक / विजशिनिफोराज. / 2026 / 63

राजनांदगांव दिनांक 15 JUL 2026

01. श्री ढालेन्द्र कुमार पिता स्व.लालसाय

ग्राम पाण्डुटोला, वितरण केन्द्र अं.चौकी

जिला मानपुर-मोहला-अं. चौकी (छ.ग.)

02. कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., मोहला।

विषय :- प्रकरण क्रमांक / 25 / 2026 पर पारित आदेश

—00—

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।




अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

प्रतिलिपि :

अधीक्षक अभियंता (वृत्त), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., राजनांदगांव

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष ए.के. गौराहा)

प्रकरण क्रमांक/25/2026

संस्थित दिनांक 15/06/2026

श्री ढालेन्द्र कुमार पिता स्व.लालसाय

....परिवादी

ग्राम पाण्डुटोला, वितरण केन्द्र अं.चौकी

जिला मानपुर-मोहला-अं. चौकी (छ.ग.)

विरुद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग,

....उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., मोहला (छ.ग.)

आदेश

(दिनांक 15/07/2026 को पारित)

नवीन कृषि पंप कनेक्शन हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हुए भुगतान सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा लंबी अवधि तक स्थायी कृषि पंप का कनेक्शन प्रदान नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. परिवादी द्वारा, ग्राम पाण्डुटोला वितरण केन्द्र अं.चौकी, जिला मोहला मानपुर अं. चौकी स्थित अपनी कृषि भूमि पर 3 एच.पी. कृषि पंप के स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन उत्तरवादी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

ख. उत्तरवादी द्वारा, परिवादी सहित 06 अन्य आवेदकों के कृषि पंप कनेक्शन हेतु प्रॉक्कलन क्रमांक G447803625.0263 दिनांक 27.03.2026 राशि 8,14,649.00 (आठ लाख चौदह हजार छः सौ उन्नचास रुपये) स्वीकृत किया गया एवं कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत प्रत्येक उपभोक्ता को एक लाख रुपये की छूट प्रदान करते हुए प्रति उपभोक्ता राशि रु. 17254.00 (सर्विस कनेक्शन एवं अन्य चार्जस सहित) का मांग-पत्र जारी किया गया जिसका भुगतान परिवादी द्वारा दिनांक 30.03.2026 को कर दिया गया है।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –



परिवादी द्वारा कृषि पंप हेतु समस्त दस्तावेजों सहित आवेदन करने, इस हेतु आवश्यक मांग पत्र राशि का भुगतान कर दिए जाने के पश्चात लंबी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा कृषि पंप हेतु स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया एवं इस संबंध में पूछताछ किये जाने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। परिवादी द्वारा अविलंब विस्तार कार्य पूर्ण करते हुए कृषि पंप का स्थायी कनेक्शन प्रदान किए जाने की मांग की गयी है।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 733 दिनांक 03.07.2026 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि -

शासन द्वारा प्रतिवर्ष कृषि पंप कनेक्शनों का विस्तार कार्य किये जाने हेतु लक्ष्य प्रदान किया जाता है जिसके अनुसार भुगतान की तिथि के आधार पर वरीयता निर्धारित करते हुए कार्य किया जाता है। मोहंला संभाग के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में कुल औपचारिकतापूर्ण लंबित कृषि पंप आवेदन 1343 नग हैं, जिनमें से शासन के द्वारा इस वर्ष 294 नग कृषि पंपों के उर्जीकरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य अनुसार केवल वरीयता क्रमांक 1 से क्रमांक 294 तक के कृषि पंपों के उर्जीकरण का कार्य किया जा रहा है। परिवादी का वरीयता क्र. 1213 से 1219 तक है, जो वर्तमान लक्ष्य में शामिल नहीं है। शासन से अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त होने तथा कार्य की वरीयता सूची में शामिल होने पर परिवादी के कृषि पंप के उर्जीकरण का कार्य किया जाएगा।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं -

(i) क्या परिवादी को कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु उत्तरवादी द्वारा की गयी कार्यवाही नियमानुसार है।

(ii) क्या उत्तरवादी द्वारा परिवादी को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने में विलंब किया जा रहा है एवं इस विलंब के लिए परिवादी उत्तरवादी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष -

6. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कृषि पंप हेतु आवेदन किये जाने एवं समस्त औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत भी उत्तरवादी द्वारा न तो उसे स्थायी कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है और न ही किसी प्रकार की जानकारी प्रदान की जा रही है। इस संबंध उत्तरवादी द्वारा बताया गया है कि परिवादी के कृषि पंप कनेक्शन हेतु



प्राक्कलन स्वीकृति, मांग पत्र राशि का भुगतान सहित अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं। चूंकि कृषि पंप कनेक्शनों के विस्तार कार्य के लिए राज्य शासन द्वारा प्रति वर्ष लक्ष्य निर्धारित करते हुए विस्तार कार्य हेतु राशि प्रदान की जाती है जिसके बाद विभाग द्वारा वरीयताक्रम में विस्तार कार्य संपन्न करते हुए स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाता है। चूंकि परिवारी का नाम अभी शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य सूची में शामिल नहीं हो सका है अतः उसका विस्तार कार्य लंबित है। शासन से नवीन लक्ष्य एवं तदनुसार विस्तार कार्य की राशि प्राप्त होने पर परिवारी के कृषि पंप कनेक्शन का कार्य करते हुए स्थायी कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि परिवारी को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए उत्तरवादी द्वारा की जा रही कार्यवाही सही एवं नियमानुसार है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

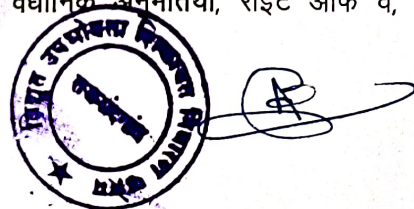
7. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम 2024 में दर्ज "अनुसूची 1 एवं 2 का अनुलग्नक" के अनुसार—

सेवा का स्वरूप	निष्पादन के मानक अंतर्गत सेवा प्रदान करने के लिए अधिकतम समय सीमा
4.2. निम्नदाब कृषि कनेक्शन	
(i) ऐसे मौसम में जहां खेत में पहुंच उपलब्ध हो, के समय कृषि कनेक्शन हेतु	विस्तार हेतु संपूर्ण व्यय का भुगतान करने के उपरांत 90 दिवस में
(ii) ऐसे मौसम में जहां खेत में पहुंच उपलब्ध नहीं हो, के समय कृषि कनेक्शन हेतु	विस्तार हेतु संपूर्ण व्यय का भुगतान करने के उपरांत 180 दिवस में

आवेदक द्वारा संपूर्ण व्यय राशि का भुगतान किए जाने के बाद ही निर्धारित समयावधि में विस्तार कार्य पूर्ण करते हुए कृषि पंप का स्थायी कनेक्शन प्रदान किया जाना है। अवगत हो कि कृषि पंपों के विस्तार कार्य संबंधी व्यय का भुगतान राज्य शासन द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को किया जाता है। स्पष्ट है कि विस्तार कार्य राशि शासन से प्राप्त होने के अभाव में उत्तरवादी द्वारा परिवारी के कृषि पंप कनेक्शन का कार्य न किये जाने को, कार्य में विलंब किया जाना, नहीं माना जा सकता है।

यद्यपि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम 2020 में दर्ज अनुसूची 1 की कंडिका "क" के नीचे दर्ज टिप्पणी के अनुसार—

"लाइसेंसी विद्युत सप्लाय के विस्तार में विलंब के ऐसे प्रकरणों में उत्तरदायी नहीं होगा जिसमें विलंब, न्यायालय में लंबित प्रकरणों, वैधानिक अनुमतियों, राईट आफ वे, भूमि के



अर्जन तथा विस्तार कार्य उपभोक्ता द्वारा लाईसेंसी के सुपर विजन में किया जा रहा हो अथवा विलंब उपभोक्ता द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षक से उच्च दाब या अति उच्च दाब विद्युत संस्थापना के लिए अनुमति आदि के कारण हो रहा हो, जो लाईसेंसी के नियंत्रण से परे है ।"

चूंकि राज्य शासन द्वारा कृषि पंपों के उर्जीकरण हेतु लक्ष्य निर्धारित करते हुए विस्तार कार्य हेतु राशि प्रदान किये जाने का कार्य उत्तरवादी के नियंत्रण से बाहर है अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि यदि लक्ष्य के अभाव में, माननीय आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में उत्तरवादी द्वारा परिवादी के कृषि पंप कनेक्शन का विस्तार कार्य करते हुए कनेक्शन प्रदान नहीं भी किया जाता है तो उस विलंब के लिए परिवादी, उत्तरवादी से किसी प्रकार की प्रतिकर राशि प्राप्त किए जाने का अधिकारी नहीं होगा ।

8. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूं कि परिवादी अपना मामला साबित करने में असफल रहा है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है -

1. उत्तरवादी द्वारा परिवादी को कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए की जा रही कार्यवाही सही एवं नियमानुसार है ।
2. फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि शासन द्वारा भविष्य में प्राप्त होने वाली लक्ष्य सूची में परिवादी का नाम शामिल होने पर अविलंब विस्तार कार्य पूर्ण करते हुए कनेक्शन प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे ।

9. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

आदेश पारित किया गया



(ए.के. गौराहा)
अध्यक्ष